न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी :: श्री अंश दीप आई.ए.एस.

राजस्व अपील:: 39 / 2019 ::

जीसीएमएस नम्बर :: 2018 / 00361

अपीलांट :–	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
1. केसरसिंह पुत्र भोमसिंहजी 2. जबरसिंह पुत्र भोमसिंहजी 3. मोहब्बतसिंह पुत्र भोमसिंहजी के वारिसान :– 3/1. कानसिंह पुत्र मोहब्बतसिंहजी 3/2. हरिसिंह पुत्र मोहब्बतसिंहजी 3/3. पेपीकंवर पत्नी मोहब्बतसिंहजी जातिगण राजपूत निवासीगण जाखोड़ा पटवार क्षेत्र कोलीवाड़ा तहसील सुमेरपुर जिला पाली (राज.)		1. मोतीसिंह पुत्र भोमसिंह जाति राजपूत निवासी जाखोड़ा पटवार क्षेत्र कोलीवाड़ा तहसील सुमेरपुर जिला पाली (राज.) 2. भूमिधारी तहसीलदार सुमेरपुर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित
रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री जब्बरसिंह

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– 16-8-21

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत मौजा जाखोड़ा पटवार हल्का कोलीवाड़ा तहसील सुमेरपुर के नामान्तरकरण संख्या 1297 तहसीलदार भू.अ. सुमेरपुर द्वारा आदेश दिनांक 23.01.2013 की पालना में स्वीकृत किया गया उक्त नामान्तरकरण को निरस्त कराने हेतु पेश की गई है। अपील अपीलांट म्याद बाहर होने से सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंटगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहसीलदार सुमेरपुर से मूल नामान्तरकरण संख्या 1257 तलब किया जाकर बहस उभयपक्ष सुनी गई।

वकील अपीलांट द्वारा वक्त बहस नो इन्स्ट्रक्शन प्लीड कर दिया जाने से अपीलांटगण को आवाजें दीलवाई गई लेकिन कोई भी उपस्थित नहीं आया। तब एक तरफा बहस अधिवक्ता रेस्पोडेंट सुनी गई।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने वक्त बहस कथन किया कि जैर अपील नामान्तरकरण आराजी के सभी सहखातेदारों द्वारा भूमी का बंटवाड़ा प्रशासन गांवो के संग अभियान में 2013 में पेश किया गया जिसकी फोटो प्रति पत्रावली संलग्न है। उक्त बंटवाड़ा बाबत प्रभारी अधिकारी केम्प कोलीवाड़ा के द्वारा जारी आदेश क्रमांक/ राजस्व/157/दिनांक 23.01.2013 की पालना में जैर अपील नामान्तकरण भरा गया एवं तहसीलदार (भू.अ.) सुमेरपुर द्वारा पारित किया गया है इस प्रकार आपसी सहमती से बंटवाड़ा किया जाकर बंटवाड़ा के अनुसार राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने हेतु जारी आदेश की पालना में भरा गया है उक्त आदेश के यथावत रहते जैर निगरानी नामान्तरकरण को निरस्त किया जाना विधि सम्मत नहीं है। अपीलांट सम्बन्धित बंटवाड़ा/आदेश को निरस्त करवा कर ही इस अपील बाबत वांछित अनुतोष प्राप्त कर सकता है। जब तक बंटवाड़ा किए जाने बाबत उक्त आदेश खारिज नहीं होता तब तक जैर अपील नामान्तरकरण को खारिज किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमावे। जैर अपील नामान्तरकरण 22.3.2013 को पारित किया गया एवं यह अपील 09.04.2018 को पेश की गई इस के मध्य दिनांक 12.09.2018 को अपीलांट केशरसिंह पुत्र भोमसिंह द्वारा अपनी खातेदारी भूमी खसरा नंबर 656/1 रकबा 1.73 हैक्टेयर का बेचाण भी किया है जो उनके हिस्से मे बंटवाड़ा अनुसार आई थी। इससे स्पष्ट होता है कि [illegible] में अपील को जानकारी से अन्दर म्याद भी माना जाना भी विधि[illegible] नहीं है तथा अधिवक्ता अपीलांट द्वारा नो इन्सट्रक्शन प्ली[illegible] कोई भी उपस्थित नही आये है। इसलिए भी [illegible] है अधिवक्ता रेस्पोडेंट द्वारा अपने तर्कों की ताईद में न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 14.11.2008 [illegible] 750, आरआरटी 2009(1) पेज 21 एवं 2013(4)W[illegible] पेश किए गए ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.22 11:38:23 IST
Reason: SelfAttested

उभय पक्ष को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।अधिवक्ता रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अवलोकन किया। जैर अपील नामान्तरकरण प्रभारी अधिकारी प्रशासन गांवो के संग अभियान 2013 में दिनांक

क्रमशः..........2

जिला कलेक्टर, पाली

23.01.2013 को पटवार हल्का कोलीवाड़ा को राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद एवं तरमीम करने हेतु लिखा गया था उक्त आदेश की पालना में पारित जैर अपील नामान्तरकरण पारित किया गया जो उक्त आदेश के प्रभाव में रहते अर्थात सक्षम न्यायालय द्वारा बिना खारिज किए उसकी पालना में पारित जैर अपील नामान्तरकरण संख्या 1297 दिनांक 22.3.2013 निरस्त किया जाना न्यायोचित नहीं है।

परिणामस्वरूप उपरोक्त कारणों से अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा नामान्तरकरण संख्या 1297 दिनांक 22.3.2013 ग्राम जाखोड़ा तहसील सुमेरपुर जो आदेश क्रमांक राजस्व 157 दिनांक 23.1.2013 तहसील सुमेरपुर (प्रभारी अधिकारी कैम्प कोलीवाड़ा) की पालना में पारित किया गया उसे यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 16-8-21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

(अंश दीप)
जिला कलेक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.22 11:38:23 IST
Reason: SelfAttested